



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052026-272643
CG-DL-E-17052026-272643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2425]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2425]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2517(अ).— केन्द्रीय सरकार, उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी पांच घंटे से अनधिक लगातार कार्य के साथ न्यूनतम आधे घंटे के विश्राम अंतराल को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एस-65025/4/2026-आई एस एच-II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2517(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 25 of the Occupational Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Central Government hereby notifies not more than five hours continuous work with an interval of at least half an hour with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-65025/4/2026-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour And Employment Advisor